

11.11.2023—पत्रावली पेशी मे आई। वकील वादी अनुपस्थित।
वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज
लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी
असालतन / वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी
व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के
कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी / अदम जरी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से
कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर
हो।

Wang